देश में मंकीपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संदिग्ध मरीजों की निगरानी, जांच और इलाज की व्यवस्था बढ़ाने के दिए गए निर्देश

संकेत कौल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को देश में एक व्यक्ति के मंकीपॉक्स (एमपॉक्स) संक्रमण से प्रभावित होने की पुष्टि कर दी है। यह एक युवक है और इसकी पहचान उजागर नहीं की गई है। हालांकि यह जरूर बताया गया है कि पीड़ित ने हाल ही में विदेश की यात्रा की थी। मंत्रालय ने कहा कि पीड़ित युवक में जिस प्रकार का एमपॉक्स संक्रमण पाया गया है, वह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की आपातकाल श्रेणी में शामिल नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा, 'एमपॉक्स के संदिग्ध मामले की पुष्टि संक्रमण के रूप में हो गई है। प्रयोगशाला जांच में रोगी में पश्चिम अफ्रीकी क्लेड-2 के एमपॉक्स वायरस की मौजूदगी पाई गई है।' मंत्रालय ने कहा कि यह एक अलग मामला है, जो जुलाई 2022 में दर्ज किए गए 30 मामलों की तरह है। मंत्रालय ने यह भी रेखांकित किया कि यह डब्ल्यूएचओ द्वारा रिपोर्ट की गई वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति का हिस्सा नहीं है, जो एमपॉक्स के क्लेड 1 के बारे में है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि पीड़ित व्यक्ति एक युवा है, जो हाल ही में एमपॉक्स संक्रमण से प्रभावित देश से लौटा है। उसे वर्तमान में एक तयशुदा आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। रोगी की हालत चिकित्सकीय रूप से स्थिर है और उसमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं हैं और न ही वह किसी अन्य बीमारी से पीड़ित है।

भारत ने पहले ही इस वायरस की रोकथाम के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। इससे पहले दिन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मंकी पॉक्स (एमपॉक्स) पर नजर रखने और सभी संदिग्धों की जांच करने के लिए अपनी तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है। राज्यों को मंकी पॉक्स के मरीजों की निगरानी करने, जांच और मरीजों को चिह्नित करने के अलावा अस्पतालों में चिह्नित लोगों के आइसोलेशन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्यों को स्वास्थ्य कर्मियों, खासकर त्वचा व यौन रोगों (एसटीडी) के क्लीनिकों में काम करने वालों सहित सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है। राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों से भी अनुरोध किया गया है कि संदिग्ध मामलों को लेकर वे सचेत रहें और लोगों में जागरूकता बढ़ाएं क्योंकि मंकी पॉक्स के आधे मामले एचआईवी मरीजों से जुड़े हुए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने 9 सितंबर को जारी पत्र में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) द्वारा जारी निगरानी की रणनीति संबंधी दिशानिर्देश अपनाने को कहा है।

दिल्ली, तमिलनाडु में जांच और निगरानी तेज

केंद्र सरकार ने एमपॉक्स मरीजों के इलाज, प्रबंधन और आइसोलेशन के लिए राष्ट्रीय राजधानी के राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग अस्पताल को नोडल केंद्र के रूप में चिह्नित किया है। इससे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली ने एमपॉक्स के संदिग्ध मरीजों के इलाज एवं प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।

तमिलनाडु ने भी चेन्नई, मदुरै, कोयम्बत्तूर और तिरुचिरापल्ली के चार सरकारी अस्पतालों को एमपॉक्स मरीजों के इलाज के लिए चिह्नित किया है। यहां प्रत्येक आइसोलेशन वार्ड में 10 बिस्तर निर्धारित किए गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निगरानी और अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि संदिग्ध और पुष्टि हुए मरीजों का समय पर बेहतर इलाज हो सके। मौजूदा समय में 22 लैब में एमपॉक्स की जांच हो रही है। इनमें पुणे की आईसीएमआर- नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विरोलॉजी (एनआईवी), केरल में एनआईवी फील्ड यूनिट, नई दिल्ली में एनसीडीसी लैब एवं कोलकाता की इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल एजुकेशन ऐंड रिसर्च (आईपीजीएमईआर) कोलकाता शामिल हैं। नई दिल्ली और नागपुर के एम्स में भी एमपॉक्स की जांच की व्यवस्था की गई है।

अधिकारियों को सख्त निर्देश

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अस्पतालों में त्वचा रोग एवं यौन रोग (एसटीडी) क्लीनिक के कर्मियों के साथ संपर्क में रहें, ताकि एमपॉक्स के सामान्य लक्षणों के बारे में समय रहते पता चल जाए और मरीजों का इलाज हो जाए।

राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है और किसी भी संदिग्ध मरीज का पता चलने पर फौरन सूचना देने तथा लोगों में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि एमपॉक्स के आधे मरीज एचआईवी पीड़ित बताए जाते हैं। एमपॉक्स पर डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अब तक आए एमपॉक्स के मरीजों में लगभग आधे (51.9 प्रतिशत) एचआईवी से पीड़ित हैं। केंद्र ने राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला स्तर पर के अधिकारियों को एमपॉक्स को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां तेज करने और नियमित तौर पर उनका जायजा लेने का निर्देश भी दिया है।

निगरानी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत

अपूर्व चंद्रा ने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर संयुक्त रोग निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत बीमारी निगरानी यूनिटों को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया है, ताकि किसी भी संदिग्ध मरीज का समय पर पता चल जाए। डब्ल्यूएचओ का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि दुनिया भर में मिले एमपॉक्स के अधिकांश मरीज युवा हैं। इनमें भी अधिकांश 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के हैं। चंद्रा ने कहा कि यह मर्ज खासकर यौन संबंधों के कारण अधिक फैल रहा है। इसके बाद एक-दूसरे के संपर्क में आने से इसका प्रसार हो रहा है।

> पीड़ित व्यक्ति एक युवा है, जो हाल ही में एमपॉक्स संक्रमण से प्रभावित देश से लौटा है। उसे वर्तमान में एक तयशुदा आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। रोगी की हालत चिकित्सकीय रूप से स्थिर है और उसमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं हैं और न ही वह किसी अन्य बीमारी से पीड़ित है।
> – केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय

क्या है एमपॉक्स?

मंकीपॉक्स या एमपॉक्स जूनोटिक अथवा पशुजन्य बीमारी है। यह पीड़ित व्यक्ति की त्वचा या अन्य घावों जैसे मुंह या जननांगों के सीधे संपर्क में आने फैल सकती है। यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों के उपयोग अथवा भीड़भाड़ में संपर्क से भी हो सकती है।

लक्षण

एमपॉक्स पीड़ित व्यक्ति की त्वचा पर चिकन पॉक्स की तरह चकते हो सकते हैं। इसके अलावा म्यूकोसा घाव भी हो सकते हैं, जो एक से दो सप्ताह तक रह सकते हैं। साथ ही बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, कमर दर्द, सुस्ती और लिम्फ नोड में सूजन आदि की शिकायत हो सकती है।

इलाज

एमपॉक्स का इलाज सहायक देखभाल के तौर पर बुखार, दर्द आदि लक्षण दिखाई देने पर ही किया जाता है। मरीज के खानपान का पूरा ध्यान रखा जाता है, शरीर में पानी की कमी न हो, इस का भी इंतजाम किया जाता है। साथ ही त्वचा की देखभाल, द्वितीयक संक्रमण की रोकथाम और एचआईवी समेत अन्य सहरोगों के इलाज पर ध्यान दिया जाता है।

टीकाकरण

इस बीमारी से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी बड़े पैमाने पर टीकाकरण संबंधी दिशानिर्देश जारी नहीं किया है। भारत में भी एमपॉक्स को लेकर किसी तरह का टीका लगवाने के संबंध में फरमान जारी नहीं हुआ है।

कोलकाता मामला

शीर्ष अदालत ने कहा काम पर लौटें डॉक्टर

अर्चिस मोहन

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वे मंगलवार शाम पांच बजे तक काम पर लौट आएं। न्यायालय ने उस अहम दस्तावेज के गायब होने पर भी चिंता जताई जो कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार के बाद जान से मार दी गई छात्रा की ऑटोप्सी के लिए जरूरी था। न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से मामले की जांच करने को कहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में 14 घंटे की देरी की। देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से कहा कि वह 17 सितंबर तक मामले की जांच को लेकर नई रिपोर्ट पेश करे।

न्यायालय ने कहा कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के काम पर वापस लौटने पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न की जाए। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि इस मामले में डॉक्टरों के हड़ताल पर रहने के कारण अब तक 23 मरीज जान गंवा चुके हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार को निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा उनकी प्रशासनिक चूकों और पीड़िता के माता-पिता के आरोपों की वजह से हो रहा है।

रविवार को पूर्व अफसरशाह और तृणमूल कांग्रेस के राज्य सभा सदस्य जवाहर सरकार ने कहा कि 'इस स्वतः स्फूर्त जनांदोलन से गलत तरह से निपटे जाने के कारण' वह राज्य सभा से इस्तीफा देना चाहते हैं और साथ ही राजनीति भी छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के एक वर्ग के दबदबा दिखाने की कोशिश को लेकर भी चिंता प्रकट की।

उक्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना के एक दिन बाद राज्य सभा में तृणमूल कांग्रेस के उपनेता सुखेंदु रे को पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने 'रीक्लेम द नाइट' मार्च का सार्वजनिक समर्थन किया था और सीबीआई से मांग की थी कि वह आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को गिरफ्तार करे।

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया था कि प्रदर्शन 'केंद्र सरकार का षडयंत्र है और इसमें कुछ वाम दल भी शामिल हैं।' उन्होंने प्रशासनिक समीक्षा बैठक में कहा, 'कुछ लोग पड़ोसी देश में मची उथलपुथल का फायदा उठा रहे हैं। वे भूल गए हैं कि भारत और बांग्लादेश अलग-अलग देश हैं।'

बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी पीड़िता के माता-पिता को पैसे देने की पेशकश नहीं की। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि दुर्गा पूजा करीब है और उन्हें उत्सवों की ओर लौटना चाहिए।

राज्य का गृह मंत्रालय भी संभाल रही बनर्जी ने कहा कि कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने प्रदर्शनों के बीच इस्तीफे की पेशकश की थी लेकिन 'हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दुर्गा पूजा के पहले कानून-व्यवस्था को समझता हो।'

(साथ में एजेंसियां)

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

बीओ : बसंतपुर सैंथली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
ई-मेल : basantpur@indianbank.co.in

परिशिष्ट–IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 03–04–2024 जारी की थी, जिसमें कर्जदारों **श्री अता इलाही पुत्र जफर अहमद,** श्री मोहम्मद राशिद पुत्र मोहम्मद सुलेमान (गारंटर) तथा श्री मोहम्मद राशिद पुत्र मोहम्मद अय्यूब से हमारी इंडियन बैंक, बसंतपुर सैंथली शाखा को सूचना में वर्णितानुसार 02–04–2024 तक बकाया राशि **रू. 5,36,248/–** (शब्दों में रूपए पांच लाख छत्तीस हजार दो सौ अड़तालीस मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा **दिनांक 06–09–2024** को ले लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडियन बैंक की 06–09–2024 तक बकाया राशि **रू. 5,62,231/–** (शब्दों में रूपए पांच लाख बासठ हजार दो सौ इकतीस मात्र) + उस पर आगे ब्याज/लागत चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।

हम आपका ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 (8) और तदधीन विरचित नियमों के प्रावधानों की ओर आकृष्ट करते हैं।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति खसरा नंबर 426एमआई का भाग, पुराना खसरा नंबर 1618एमआई, ग्राम सरना, मुरादनगर, प्लॉट एरिया 120.00 वर्ग गज (100.33 वर्ग मीटर), जो मोहल्ला इन्द्रापुरी, वार्ड नंबर –12, मुरादनगर, परगना – जलालाबाद, तहसील– मोदीनगर, जिला–गाजियाबाद में स्थित है।

चौहद्दी :
उत्तर : प्लॉट दीगर मालिक — **दक्षिण :** रावली रोड
पूरब : प्लॉट दीगर मालिक — **पश्चिम :** प्लॉट श्रीमती अनीसा बेगम एवं अन्य

तिथि : 06-09-2024, स्थान : गाजियाबाद — हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

बीओ : बसंतपुर सैंथली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
ई-मेल : basantpur@indianbank.co.in

परिशिष्ट–IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन ख्अधिनियम, 2002 (2002 का 54), के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के खनियम 3, के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **18–03–2024** जारी की थी, जिसमें कर्जदार **मैसर्स जय दुर्गे बिल्डर्स,** स्वामी श्री संजय त्यागी से इंडियन बैंक, बसंतपुर सैंथली शाखा को सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि **रू. 14,90,287/–** (रूपए चौदह लाख नब्बे हजार दो सौ सतासी मात्र) + 17–03–2024 से भुगतान की तिथि तक सहमत दर पर आगे ब्याज/लागत, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदार और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहां नीचे वर्णित **संपत्ति का कब्जा दिनांक 06–09–2024 को ले लिया है।**

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडियन बैंक की 06–09–2024 तक बकाया राशि **रू. 16,17,916/–** (रूपए सोलह लाख सत्रह हजार नौ सौ सोलह मात्र) + उस पर आगे ब्याज/लागत चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : संजय त्यागी पुत्र देवदत्त त्यागी निवासी बहादरपुर, पीओ मोरटा, तहसील एवं जिला गाजियाबाद का भूखंड उसके ऊपर निर्माण सहित, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर, जो खसरा नंबर 965, ग्राम बहादरपुर, पीओ–मोरटा, तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित है।

चौहद्दी :
उत्तर : गली 22' — **दक्षिण :** सतेन्द्र कुमार तथा संदीप कुमार की सम्पत्ति
पूरब : रेणु त्यागी की सम्पत्ति — **पश्चिम :** वीरेन्द्र शर्मा की सम्पत्ति

तिथि : 06-09-2024, स्थान : गाजियाबाद — हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

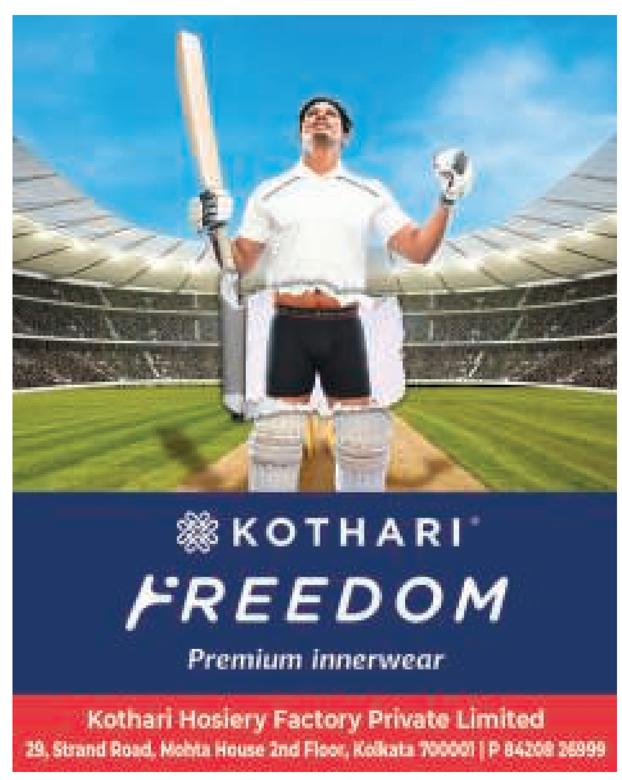

Bank of India
Relationship beyond banking

बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली आस्ति वसूली शाखा
दिल्ली एनसीआर क्षेत्र, एम–125, एम–ब्लॉक, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018

ई–नीलामी बिक्री सूचना
सम्पत्तियों की ई–नीलामी : 25.09.2024

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है जहाँ है" "जैसे है वही है" "बिना किसी सहारे के"** और **"जो है वहाँ है"** के आधार पर दिनांक 25.09.2024 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप्रा. 05.00 बजे को बेचा जाएगा। **प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी द्वारा बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है; वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।**

क्र. सं.	शाखा का नाम खाते का नाम उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कुल बकाया राशि	a) सुरक्षित मूल्य b) ईएमडी c) बोली वृध्दि राशि	निरीक्षण तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी का नाम व सम्पर्क सं.
1.	बीओः नई दिल्ली एसेट रिकवरी मेसर्स प्रिंस डायमंड 1. प्रतीक अग्रवाल (मालिक) 2. श्री निशित जैन (गारंटर)	वाणिज्यिक संपत्ति (पूर्वी तरफ) भूतल पर बिना छत के नगरपालिका संख्या 3254 वार्ड संख्या XVI खसरा संख्या 2681/2616, गली संख्या 28 की ओर, ब्लॉक–पी, गली संख्या 28 और 29, बस्ती रेघर, बीड़नपुरा, करोल बाग नई दिल्ली में स्थित है। प्रोपर्टी निशित जैन पुत्र जितेंद्र कुमार जैन के स्वामित्व में है। क्षेत्रफल, 41.80 वर्ग मीटर माप।	रु. 77.01 लाख प्लस 30–06–2015 से यूसीआई और अन्य शुल्क	a) रु. 20.80 लाख b) रु. 2.08 लाख c) रु. 1,00,000/–	**24-09-2024** 11:00 am- 1:00 pm	श्री विपिन शर्मा मोब. 918112268734
1.	बीओः नई दिल्ली एसेट रिकवरी मेसर्स शिवम जेम्स एंड ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड 1. श्याम सुंदर चतुर्वेदी (गारंटर) 2. श्री संजीव चतुर्वेदी (गारंटर) 3. पूजा चतुर्वेदी (गारंटर)	लीजहोल्ड संपत्ति संख्या 2577, द्वितीय तल, वार्ड संख्या XVI, ब्लॉक एम, खसरा संख्या 1310/272, गली संख्या 5, बीड़नपुरा, नाईवाला एस्टेट, करोल बाग, नई दिल्ली, प्रोपर्टी पूजा चतुर्वेदी पत्नी संजीव चतुर्वेदी के स्वामित्व में है।	रु. 551.71 लाख प्लस 27.12.2024 से यूसीआई और अन्य शुल्क	a) रु. 47.50 लाख b) रु. 4.75 लाख c) रु. 1,00,000/–	**24-09-2024** 11:00 am- 1:00 pm	श्री विपिन शर्मा मोब. 918112268734

नियम और शर्तें :
1) नीलामी बिक्री/बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया **https://ebkray.in** वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल **https://ebkray.in** पर पंजीकृत करवाना है और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
3) **इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी बंद होने से पूर्व ebkray के पास प्री–बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। ebkray के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई–नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जाकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री–बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें।**
4) नीलामी की तिथि और समय : **25.09.2024 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 5:00 बजे तक असीमित 10 मिनट प्रत्येक ऑटो–एक्सटेंशन के साथ।**
5) ई–नीलामी आरक्षित मूल्य जैसा कि ऊपर उल्लिखित अनुसार प्रथम वृद्धिशील मूल्य पर शुरु होगी। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए बोलीदाता एक साथ तालिका में उल्लिखित गुणकों में अपनी बोली बढ़ाएंगे।
6) इच्छुक बोलीकर्ताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई–नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यकत दस्तावेजों/विवरणों को ईएमडी वॉयलट के साथ अर्थात (उपरोक्तानुसार) ई–बिक्रय पोर्टल **https://ebkray.in** पर जमा करना होगा।
7) उच्चतम/सफल बोलीदाता को बिक्री संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि जो कि आरक्षित मूल्य का 10% है, को मिलाकर बोली/खरीद राशि का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
8) बोली/खरीद राशि का शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 वें दिन या उससे पहले (बैंकिग कार्यदिवस के दौरान) या पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित मे किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी/बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा। बोली राशि जमा की जाएगी (टीडीएस को छोड़कर, यदि कोई हो) बोली लगाने वाले को लागू टीडीएस का भुगतान करना होगा।
9) संपूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा।
10) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक **https://www.bankofindia.co.in/dynamic/Tender?Type=3** देखें–
11) यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधकदाताओं को अग्रिम में 15 दिनों का नोटिस भी है क्योंकि यह एक अनुवर्ती ई–नीलामी बिक्री है।

तिथि : 09.09.2024, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
बड़ौदा सन टॉवर, मुंबई
www.bankofbaroda.in

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपनी शाखाओं / कार्यालयों में नेटवर्क स्विच की आपूर्ति, इन्स्टालेशन और रखरखाव के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है।
विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड और गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर उपलब्ध है।
अन्य सूचना, यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड और गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर जारी किया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ता इसे अवश्य देख लें।
प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख **1 अक्तूबर, 2024** है।

स्थान: मुंबई
दिनांक : 10.09.2024 — **मुख्य महाप्रबंधक (आईटी)**
(69/24-25)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय: प्लेट ए और बी, 5वीं मंजिल, कार्यालय ब्लॉक 2, एनबीसीसी टावर्स, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110 023
सीआईएन: **U67190DL2006GOI144520**

निविदा आमंत्रण सूचना

संदर्भ: निविदा सं. **IIFCL/IT/2024/07:** दिनांक **05/09/2024**

"इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), क्षेत्रीय कार्यालयों और इसकी सहायक कंपनियों के लिए न्यूजेन ई–गव सूइट के क्लाउड में स्थानांत्रण एवं उन्नयन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन" हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करता है। कार्य के दायरे, पात्रता मानदंड आदि सहित अन्य विवरणों के लिए कृपया आईआईएफसीएल की वेबसाइट: https://www.iifcl.in और जी.ई.एम बोली क्रमांक – GEM/2024/B/5366370 जी.ई.एम पोर्टल: https://www.gem.gov.in. पर देखें।

ह./–
महाप्रबंधक – आईटी